न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—500/2016/225 (2016/00500)

1. माधू पुत्र छीतर, जाति धाकड़, निवासी मदनपुरा, तह0 सरवाड़, जिला जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. लादू पुत्र छोटू,
2. भूरा पुत्र श्रीनारायण,
3. रामधन पुत्र श्रीनारायण,
4. छोटू पुत्र श्रीनारायण,
5. श्रीमती गोदी बेवा कालू,
   समस्त जाति धाकड़, निवासी मदनपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 28.9.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 31/2013.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः—25.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 28.9.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 106 अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी की आराजी है एवं इस आराजी में आने जाने हेतु नहर के पास से खसरा नंबर 102 की मेड़ पर से रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया । खसरा नंबर 102 रेस्पो0 संख्या 1 लादू पुत्र छोटू धाकड़ के नाम दर्ज है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ ने अपने निर्णय दिनांक 28.9.2016 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1

द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अधी0न्याया0 प्रार्थना पत्र को रेसज्यूडिकेटा के आधार पर निरस्त करते । प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा अधी0न्याया0 के समक्ष जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वह धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का है । दोनो अलग–अलग धाराओं के तहत प्रस्तुत किये गये है । रेस्पो0 द्वारा रेसज्यूडिकेटा के संदर्भ में कोई प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया था इसीलिये प्रकरण में गुणावगुण पर सुनवाई हुई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रांगन्याय के सिद्धांत के आधार पर निरस्त कर भारी भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में दोनों पक्षों को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना तथा अपने निर्णय के अंत में यह अंकित किया है कि '' प्रकरण के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है ।'' यह यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पोषणीय था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि समरी प्रासीडिंग्स पर रेसज्यूडिकेट का सिद्धांत लागू नहीं होता है । इस तथ्य पर अधी0न्याया0 ने गौर नहीं किया है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र समरी प्रोसीडिंग्स की परिभाषा में आता है तथा समरी प्रोसीडिंग्स पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अन्य अनुतोष जो अपीलांट के हक एवं हित में हो प्रदान किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अनपढ़, मजदूर काश्तकार है जिसे कानून मियाद की जानकारी नहीं है तथा प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को प्रत्येक पेशी पर आने से इंकार कर रखा था जिस कारण प्रार्थी अपने अभिभाषक से संपर्क नहीं कर सका । प्रार्थी ने दिनांक 1.12.2016 को अपने अभिभाषक से संपर्क किया तब अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण का फैसला उसके विरूद्ध हो गया है । प्रार्थी ने दिनांक 1.12.2016 को ही नकल हेतु आवेदन कर उसी दिन नकल प्राप्त होने पर अपने गांव जाकर फीस की व्यवस्था कर दिनांक 5.12.2016 को अजेर आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । विवादित भूमि में रास्ते बाबत् पूर्व में प्रार्थी/अपीलांट ने ग्राम पंचायत ललाई के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 6.6.2009 को रास्ते खुलवाये जाने के आदेश पारित किये थे । ग्राम पंचायत के आदेश की अपील रेस्पो0 द्वारा विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे अपर कलक्टर ने आदेश दिनांक 17.8.2011 से निरस्त कर । अपर कलक्टर के आदेश दिनांक 17.8.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी टी0ए0 संख्या 6449/2011 पेश की गई जिसमें दिनांक 22.9.2011 को माननीय मण्डल ने अपर कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 17.8.2011 में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की आज की स्थिति नियत दिनांक तक यथावत् कायम रखी जाने के आदेश पारित किये है । ऐसी स्थिति में एक बार राजस्व न्यायालय

द्वारा किसी मामले में निर्णये के पश्चात् उसे पुनः उठाने पर मांग करना रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि एक बार इस प्रकरण को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, इसकी अपील विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर में हुई तथा अपील खारिज होने पर निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । इसके बावजूद भी यह प्रकरण वाद के रूप में इस न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जबकि राज0काश्त0अधि0 की तृतीय अनुसूची के अनुसार 251 रास्ते संबंधी अधिकार को भाग 2 के तहत प्रार्थना पत्र में लिया गया है । प्रकरण पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है । प्रकरण मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है । अतः प्रकरण के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी का प्रार्थना इस न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं पाया जाने से खारिज किया जाता है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी भूमि में रास्ते बाबत् प्रार्थी/अपीलांट ने ग्राम पंचायत ललाई के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 6.6.2009 को रास्ते खुलवाये जाने के आदेश पारित किये थे । ग्राम पंचायत के आदेश की अपील रेस्पो0 द्वारा विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे अपर कलक्टर ने आदेश दिनांक 17.8.2011 से निरस्त कर । अपर कलक्टर के आदेश दिनांक 17.8.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी टी0ए0 संख्या 6449/2011 पेश की गई जिसमें दिनांक 22.9.2011 को माननीय मण्डल ने अपर कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 17.8.2011 में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की आज की स्थिति नियत दिनांक तक यथावत् कायम रखी जाने के आदेश पारित किये है । उक्त मान0 मण्डल में वर्तमान में लंबित होकर मान0 मण्डल का स्थगन आदेश प्रभावी है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र 251–ए राज0काश्त0अधि0 पर कोई आदेश पारित करने के बजाय प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । जहां तक अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष की प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 रेसज्यूटिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण संधारण योग्य नहीं है उचित नहीं है, क्योंकि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग्स है जो सेक्शन 11 में कवर नहीं होती है । रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत केवल वाद में लागू होता है न कि समरी प्रोसीडिंग्स में । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश

निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.9.2016 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को उपरोक्तानुसार आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन निगरानी टी0ए0 संख्या 6449/2011 में मान0 मण्डल के निर्णय के उपरांत तथा मान0 मण्डल के निर्णय के प्रकाश में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर